बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

कल्याण-वाणी

सर्वे भवन्तु सुखिनः

अंक-1 खण्ड-3 वर्ष : 2016

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार की समाचार पत्रिका

विषय–वस्तु

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	संपादकीय	1
2	सरस मेले के मंच से विभाग की योजनाओं का प्रचार–प्रसार	3
3	ढाई साल की अनाथ मीनाक्षी का विदेश में दत्तक ग्रहण	4
4	बी.आई.एस.पी.एस.परियोजना की संचार–रणनीति पर राज्य–स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण	5
5	मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत कंबल एवं गर्म कपड़ों का वितरण	7
6	प्रधान सचिव, समाज कल्याण का स्वागत	8
7	युवा पीढ़ी को अपने अनुभव से जीवन में आगे बढ़ने की सीख देंगे बुजुर्ग	8
8	शाँति कुटीर, पटना में दो दिवसीय सांस्कृतिक एवं खेलकूद समारोह	9
9	विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस	10
10	'भिक्षावृत्ति मुक्त पटना' के लिए मैराथन दौड़	10
11	भिक्षुकों एवं निराश्रित जनों के सहायतार्थ खोला गया विशेष बैंक खाता	11
12	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2016	12
13	निःशक्तजनों से संबंधित सुगमता दिशा निर्देश एवं चिन्हित पदों पर राज्य–स्तरीय कार्यशाला	15
14	बाल संरक्षण समिति के गठन के दिशा–निर्देश एवं मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के पुनर्वसन पर राज्य–स्तरीय कार्यशाला	16
15	'घटता लिंगानुपात' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला	18
16	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर कार्यशाला	19
17	बिहार राज्य वृद्धजन नीति के प्रारुप पर परामर्शी बैठक	20
18	पंचायत स्तरीय कार्यक्रम द्वारा पेंशन वितरण कार्यक्रम	22
19	उपयोगी सन्दर्भ सामग्रीः बुजुर्गों की संख्या पर आंकड़े	23
20	मदिरा सेवन के विरुद्ध शपथ	23

मार्गदर्शन:

- श्री इमामुद्दीन अहमद (I.R.S.), निदेशक, समाज कल्याण–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 'सक्षम'
- श्री के.के. सिन्हा (B.A.S), वरीय प्रशासनिक पदाधिकरी,'सक्षम'

संपादक मंडल • श्रीमती हेना नकवी • श्री रणजीत कुमार • श्री शाहनवाज़ अहमद • श्री प्रशान्त लाल

© सर्वाधिकार सुरक्षित

आभार

हम समाज कल्याण विभाग के पूर्व प्रधान सचिव, श्री अमरजीत सिन्हा तथा पूर्व सचिव, श्री राजित पुनहानी, श्री अरविन्द कुमार चौधरी, श्री एस. एम. राजू तथा वर्तमान प्रधान सचिव श्रीमती वंदना किनी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिनके मार्गदर्शन में 'कल्याण वाणी' के प्रकाशन की परंपरा आगे बढ़ी। संपादक मंडल विभाग की समस्त इकाइयों व संबंधित पदाधिकारियों तथा कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करता है जिन्होंने इस प्रकाशन में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से सहयोग दिया है।

संपादकीय

कल्याण वाणी के इस अंक का सर्वप्रथम समाचार एक अत्यंत पुनीत कार्य पर आधारित है। दिसम्बर, 2015 में तीन अनाथ बच्च्यिों, मीनाक्षी, अफसाना और छाया को दो विदेशी दंपत्तियों ने विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान (एसएए), समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से गोद लिया। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद यह कदम उठाया गया है। हमें आशा है कि यह बालिकाएं अपने नए परिवारों में अत्यंत खुशहाल एवं सुरक्षित रहेंगी। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान (एसएए) के माध्यम से अनाथ एवं आश्रयहीन बच्चों का दत्तकग्रहण अत्यंत पुनीत कार्य है जिसपर समाज को बहुत अधिक जागरुक होने की आवश्यकता है ताकि जरुरतमंद बच्चों को माता–पिता और संतानहीन दंपत्तियों को संतान का सुख मिल सके। कल्याण वाणी के माध्यम से इस समाचार का प्रकाशन हमारा एक प्रयास है कि बड़े पैमाने पर लोगों को इस विषय पर जानकारी मिल सके। भविष्य में भी इस तरह के समाचारों को हम अपने प्रकाशन में प्रमुखता से स्थान देंगे। सक्षम के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही महत्वकांक्षी परियोजना, बी.आई.एस.पी.एस. की संचार रणनीति पर राज्य–स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम के साथ इस योजना की क्षेत्र आधारित गतिविधियों की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में सहायक निदेशकगण, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, 'सक्षम' के पदाधिकारीगण एवं सहायक निदेशकगण, बाल संरक्षण इकाई ने भाग लिया। ज्ञातव्य है कि उक्त परियोजना का लक्ष्य अनुमंडल स्तर पर बुनियाद केन्द्रों के माध्यम से विकलांगजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं को सामाजिक देखभाल प्रदान करना एवं उनकी सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि करना है।

मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत राज्य में भिक्षावृत्ति के क्रमिक निवारण हेतु क्रमबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा महसूस किया गया है कि इस विषय पर जन–जागरुकता की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी के मद्देनजर चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के सहयोग से फरवरी, 2016 माह में एक 11.6 कि.मी. लंबे मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में योजना के लाभार्थीगण एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर एक नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। नाटक के माध्यम से सक्षम द्वारा भिक्षावृत्ति निवारण हेतु किए जा रहे विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डाला गया तथा उपस्थित जनों को भिक्षुकों को प्रत्यक्ष भिक्षा न देकर उनकी अप्रत्यक्ष सहायता करने के लिए संवेदित किया गया ताकि भिक्षुक आत्मनिर्भर हो सकें। इस तरह के निरंतर प्रयासों के लिए विभाग कटिबद्ध है और आने वाले समय में ऐसे अभिनव माध्यमों से सामाजिक मुद्दों पर जागरुकता निर्माण का यह सिलसिला जारी रहेगा। इसी क्रम में एक और अभिनव प्रयास का उल्लेख आवश्यक है। वह प्रयास है, भिक्षुकों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष भिक्षा से भिक्षावृत्ति को मिल रहे प्रश्रय पर नियंत्रण पाने हेतु एक विशेष बैंक खाते की शुरुआत। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंचाई भवन सचिवालय, में खोले गए इस विशेष खाते में एकत्रित राशि भिक्षुकों/अति निर्धनजनों के कल्याणार्थ खर्च की जाएगी।

निःशक्तजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा लंबे समय से अनवरत्

संपादकीय

प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में अगला कदम उठाया गया, 'निःशक्तजनों से संबंधित सुगमता दिशा निर्देश' एवं 'निःशक्तजनों के लिए चिन्हित पद' विषय पर राज्य-स्तरीय परामर्शी कार्यशाला के द्वारा। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ इस बात पर विचार किया गया कि निःशक्तजनों के जीवन को किस प्रकार हर क्षेत्र में सुगम बनाया जाए।

बाल संरक्षण समितियों से संबंधित दिशा निर्देश तथा मुक्त बाल मजदूरों के पुनर्वसन से संबंधित अंतर्विभागीय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ अभिसरण कार्यक्रम का राज्य स्तरीय प्रक्षेपण-सह-उन्मुखीकरण कार्यक्रम के माध्यम से आश्रयहीन/अनाथ बच्चों एवं बाल श्रमिकों के पुनर्वास पर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर बाल संरक्षण समितियों के गठन के मुद्दे को समुदाय स्तर पर ले जाने के विषय में भी विमर्श किया गया। राज्य में 'बाल-हितैषी' वातावरण के निर्माण में इन प्रयासों की बहुत बड़ी भूमिका होगी जिनके सुखद परिणाम आने वाले समय में सामने आएंगे।

मादा भ्रूण हत्या राज्य और देश ही नहीं, समस्त मानवता के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इस विषय पर जन-सामान्य को जागरुक एवं संवेदित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा ही एक प्रयास था, 'लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, (प्री कॉन्सेप्शन एण्ड प्री नेटल डायग्नॉस्टिक टेकनीक) 1994' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2016 का आयोजन। महिला विकास निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समाज में लिंग संतुलन की आवश्यकता के संदेश पहुंचाने के प्रयास किए गए।

मद्यनिषेध पर शपथ ग्रहण समारोह की चर्चा भी उतनी ही आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में शराबबन्दी लागू करने के निर्णय के अनुपालन के रुप में सभी सरकारी विभागों एवं इकाइयों में पदाधिकारीगण द्वारा मद्यनिषेध की शपथ ली गई। समाज कल्याण विभाग की अलग-अलग इकाइयों द्वारा भी यह शपथ ली गई। इस तरह के प्रयासों से समाज को सकारात्मक संदेश मिलते हैं और बदलाव की शुरुआत होती है।

बिहार राज्य वृद्धजन नीति पर परामर्शी बैठक के माध्यम से वृद्धजनों की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है। सहभागी पद्धति से परामर्श प्राप्त कर इस नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

–संपादक मंडल

सरस मेले के मंच से विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार

दिनांक 31 दिसंबर, 2015 को सरस मेले में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना (एमबीएनवाई) पर एक गोष्ठी के माध्यम से हुई। गोष्ठी में योजना की उत्पत्ति, विस्तार, विभिन्न घटकों आदि पर जानकारी देते हुए कार्यक्रम प्रबंधक, त्रिभुवन सिंह तथा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़, मुंबई, की क्षेत्र आधारित परियोजना, 'कोशिश' के प्रतिनिधियों, कायम मासूमी एवं यशस्वी ने बताया कि यह योजना समस्त देश में अपने तरह की अनूठी योजना है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार के हृदय के निकट है। बेहतर ढंग से कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का मंचन एवं एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया, साथ ही, प्रचार सामग्रियों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के लाभुकों ने अपने अनुभव बांटते हुए बताया कि योजना से जुड़कर किस प्रकार वह भिक्षावृत्ति से बाहर निकल निकलकर आज एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं।

मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना पर गोष्ठी

सरस मेले में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना पर नुक्कड़ नाटक

कार्यक्रम के अगले चरण में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) द्वारा दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए श्रीमती मंजू वर्मा, माननीया मंत्री, समाज कल्याण ने कहा कि बच्चे भगवान की देन हैं। अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को गोद लेना बहुत ही पुण्य का कार्य है। उन्होंने अमेरिका की फ्रेज़र एवं स्मिथ दंपत्तियों की सराहना करते हुए कहा कि अनाथ बच्चियों को गोद लेकर उन्होंने बहुत पुण्य का काम किया है। ज्ञातव्य है कि अभी हाल ही में अनाथ मीनाक्षी को अमेरिका की फ्रेज़र दंपत्ति ने तथा अफसाना एवं छाया को स्मिथ दंपत्ति ने विधिवत् ढंग से गोद लिया है। इन तीनों बालिकाओं को माननीया मंत्री ने उनके अभिभावकों को सुपुर्द करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर श्री इमामुद्दीन अहमद, निदेशक, समाज कल्याण ने कहा कि गोद लिए जाने की प्रक्रिया पर व्यापक जन–जागरुकता की आवश्यकता है जिसमें मीडिया की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है।

स्मिथ दंपत्ति द्वारा गोद ली गई बालिकाएं, माननीया मंत्री, समाज कल्याण के साथ

दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की जानकारी देते निदेशक, समाज कल्याण

ढाई साल की अनाथ मीनाक्षी का विदेश में दत्तक ग्रहण

दिनांक 30 दिसंबर,2015 को बेली रोड स्थित 'अपना घर' में एक संक्षिप्त से कार्यक्रम में ढाई साल की अनाथ बालिका मीनाक्षी को अमेरिका की फ्रेज़र दंपत्ति ने गोद लिया। मीडिया के सामने श्री इमामुद्दीन अहमद, निदेशक, समाज कल्याण ने बच्ची को उसके विधिक अभिभावकों को सौंपा। दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पर जानकारी देते हुए निदेशक, समाज कल्याण ने बताया इस वर्ष बिहार से कुल 97 बच्चे गोद लिए गए जिनमें से 05 विदेशी दंपत्तियों द्वारा गोद लिए गए। हर्ष की बात यह है कि इनमें से अधिकांश लड़कियां हैं और विशिष्ट आवश्यकताओं वाली हैं। मीनाक्षी भी ऐसी ही विशिष्ट आवश्यकता वाली बच्ची है क्योंकि उसके होंठ कटे हुए हैं। जन्म के तुरंत बाद परिवार द्वारा परित्यक्त मीनाक्षी ढाई साल नालंदा के अनाथ आश्रम में रही जिसका संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (कारा) की वेबसाइट के माध्यम से फ्लोरिडा, अमेरिका के एडवर्ड फ्रेज़र एवं कार्ली रे फ्रेज़र ने मीनाक्षी का चयन गोद लेने के लिए किया। यह समस्त कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में दो वर्षों का समय लगा। दिनांक 30 दिसंबर, 2015 को मीनाक्षी को फ्रेज़र दंपत्ति को विधिवत् रूप से सौंपा गया। अब वह अपने विधिक माता-पिता के हाथों से उनके अमेरिका स्थित घर में परवरिश पाएगी।

निदेशक, समाज कल्याण, मीनाक्षी एवं उसके विधिक अभिभावकों के साथ

श्री अहमद ने बताया कि अनाथ-बेसहारा बच्चों के विधिवत् दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया का संचालन समाज कल्याण विभाग की इकाई विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान (एसएए) द्वारा किया जाता है जोकि केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (कारा) की राज्य-स्तरीय इकाई, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) का अंग है। बच्चों को गोद लेने के लिए न्यायालय का आदेश आवश्यक है। गोद लिए जाने के बाद भी विभाग द्वारा मामले का अनुसरण दो साल तक नियमित रूप से किया जाता है।

इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए एडवर्ड फ्रेज़र एवं कार्ली रे फ्रेज़र ने कहा कि मीनाक्षी को पाकर उनका परिवार संपूर्ण हो गया। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले से दो बेटे हैं। मीनाक्षी उनके बेटों की लाडली बहन बनकर परवरिश पाएगी। उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता एक लड़की, वह भी विशिष्ट आवश्यकता वाली लड़की को गोद लेना था और आज उनकी यह इच्छा पूरी हुई। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में बेटी का महत्व बेटे की तुलना में कम है। बेटी का महत्व बताने के लिए ही उन्होंने मीनाक्षी को गोद लिया है। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी को वह अच्छी परवरिश देंगे, उसे भारतीय संस्कृति के बारे में बताएंगे और उसे इसे योग्य बनाएंगे कि वह अपने निर्णय खुद ले सके। श्री अहमद ने कहा कि दत्तक ग्रहण के मामले में भारत और हमारे राज्य में जागरुकता की बहुत कमी है। इस विषय पर समुचित जानकारी के प्रसार की आवश्यकता है ताकि अनाथ बच्चों को परिवार और निःसंतान दंपत्तियों को संतान का सुख मिल सके।

ढाई साल की मीनाक्षी को मिले विदेशी मम्मी-पापा

मीनाक्षी के दत्तक ग्रहण पर समाचार

बी.आई.एस.पी.एस.परियोजना की संचार-रणनीति पर राज्य-स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण

माननीय मंत्री, समाज कल्याण द्वारा प्रथम बैच का उद्घाटन

बी.आई.एस.पी.एस. परियोजना की संचार रणनीति पर उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी) कार्यक्रम दिनांक 12-13 जनवरी, एवं 20-21 जनवरी 2016 को बामेती, फुलवारी शरीफ में संपन्न हुआ। दिनांक 12 जनवरी को कार्यक्रम के प्रथम बैच का उद्घाटन करते हुए श्रीमती मंजू वर्मा, माननीया मंत्री, समाज कल्याण ने कहा कि यदि अधिकतम लाभुकों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाना है तो सूचना खाई को पाटना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हर लाभुक को उचित संचार माध्यमों से योजनाओं की जानकारी दी जाए। दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य बी.आई.एस.पी.एस. परियोजना की संचार रणनीति पर प्रशिक्षकों का एक दल तैयार करना था। यह दल राज्य से लेकर प्रखण्ड स्तर पर बनाए जाएंगे जो समय-समय पर परियोजना की संचार रणनीति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिससे प्रत्येक लाभार्थी को समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ मिल सके।

लाभुकों के प्रति अपनी संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए माननीया मंत्री समाज कल्याण ने कहा कि योजनाएं तो हैं लेकिन जानकारी के अभाव में लाभुकों तक नहीं पहुंच पातीं। इस अवसर पर श्री इमामुद्दीन अहमद, निदेशक, समाज कल्याण ने कहा कि लाभुकगण अक्सर जानकारी के अभाव में शोषण का शिकार बन जाते है। बी.आई.एस.पी.एस. परियोजना की संचार रणनीति इन्हीं पहलुओं पर ध्यान देती है कि लाभुकों को और योजना के बीच किसी भी प्रकार की खाई न हो और योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान तक पहुंच सके। यही इस परियोजना और समाज कल्याण विभाग का लक्ष्य है। दिनांक 20 जनवरी, 2016 को उक्त प्रशिक्षण के दूसरे एवं अंतिम बैच के उद्घाटन के अवसर पर श्री इमामुद्दीन निदेशक समाज कल्याण सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम ने कहा कि उचित संचार माध्यमों से लाभुकों तक पहुंचा जा सकता है।

दो बैचों में संपन्न इस राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में सहायक निदेशकगण, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, 'सक्षम' के पदाधिकारीगण एवं सहायक निदेशकगण, बाल संरक्षण इकाई ने भाग लिया। कार्यक्रम के तहत इस बात पर विचार किया गया कि संचार के माध्यम से किस प्रकार लक्षित समूहों तक विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाई जा सकती है। लक्षित समूहों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाए जाने की आवश्यकता को देखते हुए व्यवहार परिवर्तन संचार (बी.सी.सी) के सिद्धान्तों एवं बुनियादी कौशलों पर भी जानकारी दी गई।

विश्व बैंक सम्पोषित बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (बी.आई.एस.पी.एस.) का क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग की सोसाईटी 'सक्षम' के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को बेहतर बनाना है। कार्यक्रम के लक्षित समूह विधवाएं, विकलांगजन एवं वृद्धजन हैं जो विभिन्न कारणों से समाज की उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। परियोजना के माध्यम से समस्त राज्य में 101 अनुमंडलों में बुनियाद केन्द्र नामक सामाजिक देख-भाल केन्द्र स्थापित किये जाएंगे, जो विधवाओं, निःशक्तजनों एवं वृद्धजनों को सामाजिक देख-भाल प्रदान करेंगे ताकि उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार आ सके। इन केन्द्रों की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

प्रथम बैच के प्रतिभागियों को संबोधित करते निदेशक,
समाज कल्याण सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 'सक्षम'

प्रशिक्षण के द्वितीय बैच का उद्घाटन

परियोजना की संचार रणनीति के तहत अंतर्वैयक्तिक संचार (आई.पी.सी.) एवं प्रचार सामग्रियों (आई.ई.सी.) से समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

तकनीकी सत्र

खेल के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन संचार की जानकारी

दो बैचों के प्रतिभागीगण

मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत कंबल एवं गर्म कपड़ों का वितरण

श्रीमती मंजू वर्मा, माननीया मंत्री समाज कल्याण द्वारा दिनांक 18 जनवरी,2016 को पटना स्थित पत्थर की मस्जिद क्षेत्र एवं हाई कोर्ट मजार परिसर में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के 500 लाभुकों के बीच कंबल एवं गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम राज्य के अन्य जिलों में भी संपन्न किए जा रहे हैं ताकि अति निर्धनजनों एवं भिक्षुकजनों को ठंड के कहर से बचाया जा सके। कंबल एवं गर्म कपड़ों के वितरण हेतु लाभुकों का चुनाव एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है ताकि यह सहायता वास्तविक रुप से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।

इसके अतिरिक्त जनवरी,2016 के अंतिम सप्ताह में अचानक बढ़ी ठंड के मद्देनजर श्रीमती मंजू वर्मा के निर्देश पर कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहे भिक्षुकों और वंचितों को दिनांक 23 जनवरी रात्रि से 24 जनवरी तड़के तक विभाग की सोसाईटी, सक्षम की ओर से कंबलों का वितरण किया गया। सोसाइटी के पांच समूहों द्वारा 23 जनवरी, रात्रि दस बजे से 24 जनवरी प्रातः तक सड़कों पर मिले सभी ज़रूरतमंदों के बीच नौ सौ कंबल वितरित किये गये। लाभुकों में खुली छत के नीचे जीवनयापन करने वाले भिक्षुक, कमजोर और असहाय वर्ग के लोग शामिल हैं। इन समूहों ने फुलवारी शरीफ, जीपीओ गोलम्बर, महावीर मंदिर, हाईकोर्ट मज़ार, दानापुर और अनीसाबाद क्षेत्रों में जरूरतमंदों को कंबल बांटे।

राज्य के सात जिलों में 'सक्षम', द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत भिक्षावृत्ति के माध्यम से जीवनयापन कर रहे अति निर्धनजनों, निःशक्तजनों , वृद्धजनों एवं बच्चों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकालने एवं समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भिक्षावृत्ति के माध्यम से जीवनयापन कर रहे अति निर्धनजनों, निःशक्तजनों , वृद्धजनों एवं बच्चों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकालकर एक सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर करने की दिशा में समाज कल्याण का यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे प्रयासों को चरणबद्ध ढंग से समस्त राज्य में लागू करने की विभाग की योजना है ताकि राज्य से भिक्षावृत्ति का संपूर्ण निवारण किया जा सके। इस दिशा में पटना में 'सेवा कुटीर' नामक पुरुष पुनर्वास केन्द्र, 'शांति कुटीर' नामक महिला पुनर्वास केन्द्र तथा 'कौशल कुटीर' नामक प्रशिक्षण केन्द्र पटना में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के छह अन्य जिलों में 12 अल्पावास गृहों सह वर्गीकरण केन्द्रों की स्थापना की गई है। प्रथम चरण के तहत चयनित यह जिले हैं–मुज़फ्फरपुर, दरभंगा, रोहतास, गया, पूर्णिया और नालंदा। प्रत्येक जिले में 'सेवा कुटीर' तथा 'शांति कुटीर' नामक केन्द्रों की स्थापना की गई है। विभिन्न चरणों में इस योजना का विस्तार राज्य के अन्य जिलों में किया जाएगा।

लाभुक को कंबल प्रदान करती मंत्री समाज कल्याण

हाई कोर्ट मजार परिसर, पटना में एकत्रित लाभुकगण

प्रधान सचिव, समाज कल्याण का स्वागत

दिनांक 28 जनवरी, 2016 को सक्षम सभागार में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में विभाग की नई प्रधान सचिव श्रीमती वंदना किनी का विभाग की ओर से स्वागत किया गया। उनका स्वागत करते हुए श्री एस.एम.राजू, पूर्व सचिव,समाज कल्याण ने उन्हें विभाग की रूपरेखा एवं वर्तमान कार्यों से अवगत कराया। इसी कार्यक्रम के दौरान श्री एस.एम.राजू को विभाग की ओर से विदाई भी दी गई। इस अवसर पर श्रीमती एन. विजयलक्ष्मी, प्रबंध निदेशक, महिला विकास समेत विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं विभाग की विभिन्न इकाइयों के विभिन्न पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर श्रीमती वंदना द्वारा विभाग के कार्यों की संक्षिप्त समीक्षा की गई।

जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मोतिहारी ने पीढ़ियों का अंतर पाटने की शुरू की पहल

धरातल से

युवा पीढ़ी को अपने अनुभव से जीवन में आगे बढ़ने की सीख देंगे बुजुर्ग

बुजुर्गों की महत्ता हमारे समाज में सदा से रही है। उनके अनुभव और ज्ञान से नई पीढ़ी मार्गदर्शन लेती रही है। लेकिन विज्ञान व तकनीक के विकास के बाद युवा वर्ग खुद में सिमट रहा है। सामाजिक स्तर पर उसकी उपस्थिति कम दिखती है। युवा व बुजुर्गों के बीच पीढ़ी का अंतर बढ़ने लगा है। घर में भी बड़ों के साथ युवा कम ही समय देते है। युवा पीढ़ी अति उत्साह में फैसले तो ले रही है, पर अनुभव की कमी आड़े आती है। पीढ़ियों का अंतर पाटने के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मोतिहारी,सामाजिक सुरक्षा ने एक नायाब पहल शुरू की है। अब युवा पीढ़ी को बुजुर्ग तहजीब व तजुर्बे की तालीम देंगे। इस प्रयास को नाम दिया गया है 'अतीत से वर्तमान तक'। विभाग की सोच है कि युवाओं को कुछ समय अपने बड़ों के साथ बैठकर उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। अगर वे इसको नियमित रूप से करेंगे तो फायदा मिलने के साथ बुजुर्गों को भी अपनों के होने का अहसास होगा, उपेक्षा जैसे शब्द उनके जेहन में नहीं गूंजेंगे। बुजुर्ग हल करेंगे युवाओं की समस्याएं, इसके लिए सामाजिक सुरक्षा कोषांग मोतिहारी किसी स्वयंसेवी संस्था को जिम्मेदारी देगा। संस्था बुजुर्गों के साथ मिलकर इस अभियान को दिशा देगी। प्रारंभिक स्तर पर इसके लिए स्कूलों व शिक्षण संस्थानों में जाकर बच्चों को जागरूक किया जाएगा। छोटे बच्चों व युवाओं को बताया जाएगा कि बुजुर्गों का अनुभव उनके जीवन में किस कदर लाभकारी साबित होगा। बच्चों में घर के बड़ों के प्रति विश्वास पैदा होगा और वे उनके पास कुछ समय गुजारेंगे। स्वयंसेवी संस्था एक निश्चित स्थान भी निर्धारित करेगी, जहां व्यक्तिगत परेशानी से जूझ रहे युवा, बुजुर्गों से परामर्श ले सकेंगे। डॉ. विवेक सिंह, सहायक निदेशक,जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मोतिहारी का कहना है ''इस प्रकार की योजना से युवाओं में हो रहे भटकाव को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। बहुत जल्द इस कार्य को करने के लिए स्वयंसेवी संस्था का चयन कर इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया जाएगा।''

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग मोतिहारी, लाभुकों के बीच

शाँति कुटीर, पटना में दो दिवसीय सांस्कृतिक एवं खेलकूद समारोह

दिनांक 15.01.2016 एवं 16.01.2016 शुक्रवार तथा शनिवार को मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत सक्षम समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं स्वयं सेवी संस्था 'यमना' द्वारा संचालित 'शांति कुटीर' (महिला पुनर्वास केन्द्र), पटना के प्रांगण में दो दिवसीय सांस्कृतिक एवं खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्‌घाटन श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, वरीय प्रशासी पदाधिकारी, 'सक्षम' द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर श्री एस.सी.झा. अपर सचिव जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना, सक्षम के विभिन्न पदाधिकारीगण, 'कोशिश' के प्रतिनिधिगण, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, यमना के सचिव श्री कुमार दीपक, समाज सेविका श्रीमती राखी शर्मा, यमना के कार्यकर्ता, परामर्शदाता तथा शांति कुटीर महिला पुनर्वास केन्द्र पटना के सभी कर्मचारी एवं लाभार्थी मौजूद थे। इसके अतिरिक्त महावीर मंदिर क्षेत्र में भिक्षावृत्ति कर रहे लाभार्थीगण भी उपस्थित थे। शाँति कुटीर परिसर में लाभार्थियों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री हेतु एक दुकान का निर्माण किया गया है। इस प्रयास के माध्यम से लाभार्थियों का मनोबल ऊँचा होगा तथा उनके कामों को पहचान मिलेगी। दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान नव निर्मित दुकान का उद्‌घाटन श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, वरीय प्रशासी पदाधिकारी, एस.एस.यू.पी.एस.डब्ल्यू. बिहार सरकार, पटना द्वारा किया गया।

शांति कुटीर,पटना में सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम

लाभार्थी अंजली कुमारी एवं लाभार्थी प्रीति कुमारी द्वारा गणेश वंदना के साथ इस समारोह का शुभारंभ हुआ। दिशा केयर एवं सोशल सर्विस फाउन्डेशन के बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुति भी देखने लायक रहीं। शांति कुटीर महिला पुनर्वास केन्द्र की लाभार्थीगण आत्मरक्षा हेतु मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती रहीं है, जिसकी झलक भी इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में नजर आई।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया जिसमें एकाग्रता से संबंधित खेल, समूह खेल, रिंग खेल, टोकरी सीढ़ी खेल, रस्साकशी, पेयपदार्थ पीने की प्रतियोगिता, बाधा दौड़, बोरा दौड़, जोड़ा दौड़, निशाना लगाना तथा अन्य प्रतियोगिताएं शामिल थीं। शांति कुटीर तथा महावीर मंदिर के लाभार्थियों ने बड़े उत्साह के साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शाँति कुटीर में प्रवास कर रहे लगभग सभी लाभार्थियों ने किसी –न– किसी रूप से हिस्सा लिया।

लाभार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी सह बिक्री हेतु निर्मित परिसर का उद्‌घाटन

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शांति कुटीर में प्रवास कर चुकी लाभार्थियों के केस इतिहास से भी उपस्थित जनों को अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार वितरण के बाद महावीर मंदिर क्षेत्र से आए लाभार्थियों के बीच कंबल वितरण भी किया गया।

विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस

मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करती माननीया मंत्री व प्रधान सचिव

दिनांक 4 फरवरी, 2016 को अपराह्न 3 बजे सूचना भवन, पटना में विभाग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सूचना एवं जन संपर्क विभाग की ओर से आयोजित यह कॉन्फ्रेंस वर्ष 2016 में विभाग ही नहीं, राज्य की भी पहली कॉन्फ्रेंस थी। इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए श्रीमती कु. मंजू वर्मा, माननीया मंत्री, समाज कल्याण तथा श्रीमती वंदना किनी, प्रधान सचिव, समाज कल्याण ने कार्यक्रम की शुरूआत की। मीडिया प्रतिनधियों के साथ बातचीत करने के लिए विभाग के विभिन्न निदेशालयों के निदेशकगण, वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इस संक्षिप्त से कार्यक्रम में विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं की अद्यतन प्रगति पर एक प्रतिवेदन मीडिया प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया जिसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर माननीया मंत्री तथा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा दिए गए।

'भिक्षावृत्ति मुक्त पटना' के लिए मैराथन दौड़

मैराथन का उद्घाटन

राज्य में भिक्षावृत्ति के क्रमिक उन्मूलन के लिए जन–जागरुकता लाने के उद्देश्य से 'सक्षम', समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार एवं चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना (सी.आई.एम.पी) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 11.6 कि.मी. लंबे मैराथन की शुरूआत दिनांक 7 फरवरी,2016 को सुबह साढ़े सात बजे बिस्कोमान भवन, गांधी मैदान, पटना से हुई। कार्यक्रम के उद्घाटन करते हुए श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, माननीया मंत्री, समाज कल्याण ने कहा कि यदि राज्य को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाना है तो इसके लिए समाज के विभिन्न वर्गों को आगे आना होगा। जन साधारण का यह दायित्व है कि वह भिक्षुकों को प्रत्यक्ष भिक्षा न देकर उन्हें

'दान नहीं सम्मान' अभियान पर नुक्कड़ नाटक

सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य बनाएं। भिक्षावृत्ति के कुचक्र को क्रमबद्ध प्रयासों से तोड़ा जा सकता है। 'मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना' इसी दिशा में एक प्रयास है, जिसका संचालन समाज कल्याण विभाग की सोसाइटी 'सक्षम' द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से भिक्षुकों का पुनर्वास किया जाता है। इसके तहत भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने से लेकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, रोजगारपरक प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार से जोड़ना, परिवारों में सम्मानजनक वापसी आदि शामिल हैं। मैराथन में लगभग 600 लोगों ने भाग लिया जिनमें खिलाड़ीगण, छात्रगण, 'मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना' के तहत पटना में संचालित पुनर्वास केन्द्रों के लाभार्थीगण एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे। शहर के मुख्य स्थलों से गुजरते हुए यह दौड़ सेन्ट्रल मॉल परिसर में समाप्त हुई जहां भिक्षावृत्ति उन्मूलन के मुद्दे पर एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से सक्षम द्वारा भिक्षावृत्ति निवारण हेतु किए जा रहे विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डाला गया तथा उपस्थित जनों को भिक्षुकों को प्रत्यक्ष भिक्षा न देकर उनकी अप्रत्यक्ष सहायता करने के लिए संवेदित किया गया ताकि भिक्षुक आत्मनिर्भर हो सकें। इस अवसर पर मैराथन के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया।

दौड़ में नवादा के कृष्ण कुमार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने यह दौड़ कुल 36 मिनटों में पूरी की। द्वितीय एवं तृतीय स्थान क्रमशः जितेन्द्र और उदय कुमार मेहता को प्राप्त हुआ। महिला वर्ग में मधेपुरा की सुमन भारती ललिता को प्रथम स्थान, अंशु कुमारी एवं आशा को क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। सुश्री सुमन ने यह दौड़ 52 मिनटों में पूरी कीं। सक्षम के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री इमामुद्दीन अहमद, सक्षम ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

भिक्षुकों एवं निराश्रित जनों के सहायतार्थ खोला गया विशेष बैंक खाता

सार्वजनिक स्थलों पर आमजनों द्वारा भिक्षुकों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष भिक्षा से भिक्षावृत्ति को मिल रहे प्रश्रय पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से 'सक्षम' द्वारा 'भिक्षुक सहायता कोष' नामक एक विशेष बैंक खाता खोला गया है (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंचाई भवन सचिवालय, पटना। खाता संख्या–**35337202042**, आई.एफ.एस.कोड : **एसबीआईएन 000015**)। खाते में एकत्रित राशि भिक्षुकों/ अति निर्धनजनों के कल्याणार्थ खर्च की जाएगी। राशि के प्रयोग का ब्यौरा सक्षम की वेबसाइट www.ssupsw.in पर उपलब्ध होगा। इससे सार्वजनिक स्थलों पर भिक्षावृत्ति पर पाबंदी लगेगी। इस कार्य में समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग की आवश्यकता है। यदि आमजन श्राद्ध, बरसी जैसे पुनीत अवसरों पर भिक्षुकों को सीधे दान न देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में सहायता करें तो आने वाले समय में राज्य से भिक्षावृत्ति का निवारण संभव हो सकेगा, भिक्षुकगण सम्मानजनक एवं आत्म–निर्भर जीवन जी सकेंगे। इस दिशा में उनके मार्गदर्शन हेतु उन्हें 'सेवा कुटीर', 'शांति कुटीर' एवं 'कौशल कुटीर' के बारे में बताकर अथवा स्वयं इन केन्द्रों से संपर्क कर भिक्षुकों को बेहतर जीवन दिलाने का रास्ता बनाया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2016

महिला सशक्तीकरण पर

दिनांक 8 मार्च, 2016 को होटल पाटलिपुत्रा अशोका, पटना में महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2016 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय था–'लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, (प्री कॉन्सेप्शन एण्ड प्री नेटल डायग्नॉस्टिक टकनीक) 1994' पर जन–जागरुकता। कार्यक्रम की शुरुआत उक्त विषय पर एक नुक्कड़ नाटक से हुई जिसका मंचन कला जत्था नामक सांस्कृतिक समूह द्वारा किया गया। नाटक में जन्म पूर्व लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक समस्याओं को मर्मस्पर्शी ढंग से उजागर किया गया। नाटक के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि यदि मानवता को सुरक्षित रखना है तो कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को तुरंत रोकना होगा।

कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में डॉ. सज्जाद, वरीय सलाहकार, पी.सी. एण्ड पी.एन. डी.टी प्रकोष्ठ, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा राज्य में लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, (प्री कॉन्सेप्शन एण्ड प्री नेटल डायग्नॉस्टिक टेकनीक) 1994' के क्रियान्वयन पर एक प्रस्तुति दी गई। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में लिंग अनुपात घटना नहीं चाहिए। समाज में हर प्रकार के संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो, जन्म पूर्व लिंग परीक्षण कराने वाली क्लीनिकों पर नजर रखे जाने की आवश्यकता है। बेहतर लिंग संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि इस मुद्दे पर समाज का हर वर्ग काम करे। प्रशिक्षण एवं प्रचार सामग्रियों की सहायता से इस मुद्दे पर समाज के विभिन्न वर्गों का व्यवहार परिवर्तन किया जा सकता है।

पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ. शीला शर्मा ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या पर पाबंदी लगाने का सबसे कारगर तरीका है, महिला शिक्षा और महिला सशक्तीकरण। महिलाएं अपनी शिक्षा के दम पर दुनिया को यह दिखाती आ रही हैं कि वह

प्रचार सामग्री का लोकार्पण

किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। खुद महिलाओं को इस मामले में भी पहल करनी होगी कि उनके गर्भ में पल रही बालिकाएं सुरक्षित रुप में इस धरती पर आएँ। एक अन्य स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ.सारिका राय ने कहा कि उनकी क्लीनिक में हर वर्ग के लोग आते हैं मगर जन्म पूर्व लिंग का परीक्षण करने के लिए सबसे अधिक उतावले तथाकथित संपन्न एवं शिक्षित वर्ग के लोग होते हैं। क्लीनिक में जन्म पूर्व लिंग परीक्षण के लिए मना करने पर ऐसे लोग तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर किसी भी प्रकार अपना काम निकलवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता बदले जाने की आवश्यकता है जिससे उनके दिल में बैठा बेटा-बेटी का भेद मिटाया जा सके।

श्री आलोक राज,पुलिस महानिदेशक, सीआईडी ने कहा कि यदि संवेदना है तो कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा किसी को भी संवेदित कर सकता है लेकिन यदि दिल में पशुता और संवेदनहीनता बैठ चुकी है तो कन्या भ्रूण हत्या जैसा मर्मस्पर्शी मुद्दा भी बेचैन नहीं कर सकता। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या रोकने की दिशा में समाज कल्याण विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा कि इस कार्य के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आने की आवश्यकता है। इस मुददे पर जागरुकता के प्रचार-प्रसार में महिला चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है क्योंकि उनके पास महिला मरीजों की भारी भीड़ आती रहती है।

श्री आलोक राज ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या महिलाओं से जुड़ा अत्यंत संगीन अपराध है क्योंकि यह जीवन के अधिकार का हनन करता है। इसीलिए लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994 के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण की आवश्यकता है जिससे महिलाओं का उनके परिवार और समाज में आदर हो सके, लोग यह समझ सके कि जननी होने के अतिरिक्त महिलाएं आर्थिक विकास की भागीदार भी हैं।

स्टॉल का निरीक्षण

महिला दिवस के आयोजन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर जानकारी देते हुए डॉ. एन विजयलक्ष्मी, प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम ने बताया कि बिहार में महिला सशक्तीकरण के मुद्दे के दो आयाम हैं, अधिकार एवं विकास। उन्होंने बताया कि बालिकाओं–महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए आवश्यक है कि यह संदेश धरातल स्तर तक पहुंचे। इसके लिए महिला विकास निगम द्वारा पंचायत चुनावों के बाद नव–निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को इस विषय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

स्त्री–पुरुष समानता के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, माननीया मंत्री, समाज कल्याण ने कहा कि जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, वहां अशान्ति होगी। हमारे देश में सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो फिर अपने घरों में ही महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं मिलता ? उन्होंने कहा कि हमारे देश से नाम वही महिलाएं कमा सकीं, जिन्हें अपने परिवार से समर्थन मिला। इसलिए समाज और परिवार दोनों की जिम्मेदारी है कि महिलाओं और बालिकाओं को आगे बढ़ने में सहयोग दें क्योंकि बेटियां सशक्त होंगी, तभी देश सशक्त होगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्रीमती वंदना किनी, प्रधान सचिव, समाज कल्याण ने कहा कि देश के विभिन्न भागों में महिलाओं की स्थिति के लिए वहां की संस्कृति जिम्मेदार है। महिलाओं के अधिकार समस्त देश में एक जैसे नहीं हैं। दक्षिण भारत में महिला शिक्षा की बहुत अच्छी स्थिति होने के कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं नहीं हैं। केरल में बेटियों को बेटों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। वैसी ही स्थिति समस्त देश में बनाए जाने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम परिसर में विभाग द्वारा महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सफल महिलाओं तथा फुलवारी शरीफ, पटना में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के फेडरेशन, 'नई दिशा' की लगभग 100 सदस्याओं ने भाग लिया।

कन्या भ्रूण हत्या पर नुक्कड़ नाटक

नि:शक्तजनों से संबंधित सुगमता दिशा निर्देश एवं चिन्हित पदों पद पर राज्य-स्तरीय कार्यशाला

निःशक्तजनों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने एवं उनके सशक्तीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते के उद्देश्य से दिनांक 26 फरवरी, 2016 को सक्षम परिसर में एक राज्य–स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विभाग के समावेशन परामर्शदाता, श्री समीर घोष द्वारा विकसित दो महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों, 'निःशक्तजनों से संबंधित सुगमता दिशा निर्देश' एवं 'निःशक्तजनों के लिए चिन्हित पद' पर विचार–विमर्श किया गया। प्रथम दस्तावेज में इस बात पर विचार किया गया है कि निःशक्तजनों के जीवन को किस प्रकार हर क्षेत्र में सुगम बनाया जाए। यह क्षेत्र हैं, यातायात, संचार माध्यम, जन सुविधाएं, मनोरंजन, शिक्षा, धार्मिक स्थल आदि। दस्तावेज में इस बात पर चर्चा की गई है कि उक्त क्षेत्रों तक निःशक्तजनों की पहुंच किस प्रकार बढ़ाई जाए जिससे उनका जीवन सरल बन सके और समाज–राष्ट्र के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ सके। इन सुझावों के आधार पर संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है जिससे निःशक्तजनों का जीवन सरल और सुगम बन सकेगा। दूसरा दस्तावेज सरकारी क्षेत्र में निःशक्तजनों के लिए चिन्हित पदों पर एक सन्दर्भ सामग्री है जिसके आधार पर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवश्यक विवरण तैयार किए जाएंगे। इस दस्तावेज का लक्ष्य निःशक्तजनों की सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध पदों तक पहुंच बढ़ाना है जिससे राज्य में समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उक्त दस्तावेजों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

कार्यशाला की अध्यक्षता श्री ए.के. दास, निदेशक सामाजिक सुरक्षा द्वारा की गई। बैठक में यह निर्धारित किया गया कि सभी संबंधित विभाग कार्यशाला से एक सप्ताह की समय–सीमा में उक्त दोनों दस्तावेजों पर अपना मंतव्य प्रदान करेंगे। इस मंतव्य के आधार पर दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। दस्तावेजों को अधिक से अधिक सहभागी एवं उपयोगी बनाने के उद्देश्य से सभी विभागों के मंतव्य प्राप्त करने का निश्चय किया गया है। दिनांक 26 फरवरी को आयोजित कार्यशाला की पूर्व तैयारी के रुप में दिनांक 24 फरवरी को सक्षम परिसर में एक संक्षिप्त कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें समाज कल्याण विभाग के डेवलपमेंट पार्टनर संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और दस्तावेजों में आवश्यक सुधार हेतु अपने विचार प्रस्तुत किए।

ज्ञातव्य है कि निःशक्तजनों को मुख्यधारा में शामिल करने एवं उनके सशक्तीकरण की दिशा में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं जिनमें सबसे महत्वपमर्ण है, 'बिहार राज्य निःशक्तजन सशक्तीकरण नीति, 2015' का निर्माण। उक्त नीति एक विस्तृत दस्तावेज है जिसमें निःशक्तजनों के समावेशन एवं सशक्तीकरण को लक्षित उद्देश्यों, दिशानिर्देशों, विद्यमान वैधानिक संरचनाओं लक्षित समूहों, उनके विकास को समर्पित कार्यक्रम तथा अनुश्रवण प्रणाली तक को शामिल किया गया है। आशा की जा रही है कि इस नीति के निर्माण से बिहार में निःशक्तजनों के विकास को एक नई दिशा मिलेगी।

कार्यशाला की झलकियां

बाल संरक्षण समिति के गठन के दिशा-निर्देश एवं मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के पुनर्वसन पर राज्य-स्तरीय कार्यशाला

कार्यक्रम को संबोधित करती माननीया मंत्री, समाज कल्याण

दिनांक 03 मार्च, 2016 को होटल पनाश, गांधी मैदान, पटना में बाल संरक्षण समितियों से संबंधित दिशा निर्देश तथा मुक्त बाल मजदूरों के पुनर्वसन से संबंधित अंतर्विभागीय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ अभिसरण कार्यक्रम का राज्य स्तरीय प्रक्षेपण–सह–उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) समाज कल्याण निदेशालय एवं यूनिसेफ द्वारा किया गया था जिसका उदेश्य दूर–दराज से आए प्रतिभागियों का बाल संरक्षण समिति के गठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु दिशा–निर्देशों पर उन्मुखीकरण तथा मुक्त कराये गए बाल श्रमिकों के पुनर्वसन पर विचार विमर्श करना था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, माननीया मंत्री, समाज कल्याण ने कहा कि देश और राज्य में बच्चों का बहुत बड़ा प्रतिशत विषम परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर है। अशिक्षा, बालश्रम, निर्धनता, मानव व्यापार, यौन शोषण आदि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण बच्चों के लिए वातावरण 'मित्रवत' नहीं कहा जा सकता है। मगर इस अंधेरे में समाज कल्याण विभाग की राज्य बाल संरक्षण इकाई एक जलते हुए दीपक की तरह है जो राज्य के बच्चों को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण समिति को समाज के अंतिम पायदान तक जाकर काम करने की आवश्यकता है ताकि राज्य का कोई बच्चा असुरक्षित न रहे, हर बच्चे को सुरक्षित बचपन के साथ–साथ बचपन से जुड़ा हर अधिकार प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि इस काम में केन्द्र सरकार के सहयोग की भी आवश्यकता है जिसके लिए वह केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय से बात करेंगी।

प्रधान सचिव, समाज कल्याण का उद्बोधन

प्रतिभागियों के रुप में विभिन्न विभागों तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए श्री इमामुदीन अहमद, निदेशक, समाज कल्याण ने कहा कि बाल संरक्षण समितियों के गठन के मुद्दे को अब समुदाय तक ले जाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक हम ***रिएक्टिव*** होकर इस मुद्दे पर कार्य कर रहे थे। लेकिन अब हमें ***प्रोएॅक्टिव*** होने की जरुरत है ताकि बाल श्रम, अशिक्षा, पलायन, बाल शोषण जैसी सामाजिक बुराईयां सामने न आ सकें।

श्री सुनील झा, परामर्शदाता, यूनिसेफ द्वारा बाल संरक्षण समितियों से संबंधित दिशा निर्देश पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया जिसके बाद इस मुददे पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अपने–अपने अनुभव बांटे गए। 'आजाद बचपन' नामक स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि ने कहा कि बाल संरक्षण समिति सत्ता के विकेन्द्रीकरण का बेहतरीन उदाहरण है क्योंकि इसमें समाज के विभिन्न वर्गो यहां तक कि खुद बच्चों तक की सहभागिता है । ज्ञातव्य है कि आजाद बचपन, 'राहत', भूमिका विहार, 'अदिति' जैसी सामाजिक संस्थाएं अपने–अपने कार्यक्षेत्र में बाल संरक्षण समितियां गठित कर रही हैं जिससे बच्चों से जुड़ी सामाजिक बुराइयों पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। श्री यामिन मजुमदार, राज्य प्रतिनिधि, यूनिसेफ ने कहा कि यूनिसेफ, समाज कल्याण विभाग के बाल कल्याण संबंधी हस्तक्षेपों पर हमेशा से साथ रहा है।

अपने उद्बोधन में श्री मुख्तार उल हक, सदस्य, राज्य बाल श्रम आयोग ने कहा कि बाल संरक्षण के मुददे पर सभी विभागों और सामाजिक संगठनों को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां सबसे पहले राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया गया। यह हमारे राज्य की संवेदनशीलता है जिसके कारण इस मुददे पर इतनी तेजी से काम हो रहा है। इस अवसर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा, श्रीमती निशा झा ने कहा कि इस कार्यक्रम के बहुत मजबूत अनुश्रवण की आवश्यकता है। श्रीमती झा ने बताया कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक निगरानी तंत्र के रूप में वर्ष 2010 से कार्यरत है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर काम करने के लिए अधिक बजट की जरुरत तो है ही, उसके साथ बेहतर डिलीवरी की भी जरूरत है।

श्रीमती वंदना किनी, प्रधान सचिव, समाज कल्याण ने बताया कि विभाग एक ऐसे नवाचारी प्रयोग पर काम कर रहा है जिससे धरातल स्तर पर कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए ऐसे *क्रेश* स्थापित किए जाएंगे जिनका संचालन समुदाय द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह प्रयोग पंचायत चुनाव के बाद राज्य के दो जिलों में किया जाएगा जिसके तहत इन दोनों जिलों में 100–100 *क्रेश* स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रयोग से धरातल स्तर पर कामकाजी माताओं के बच्चों की परवरिश बेहतर ढंग से हो सकेगी।

कार्यक्रम के दूसरे सत्र में बाल श्रमिकों के पुनर्वसन पर चर्चा करते हुए श्री मंसूर कादरी, प्रतिनिधि, यूनिसेफ ने बताया कि बिहार उन चन्द राज्यों में से एक है जहां बाल श्रमिकों के पुनर्वसन पर इतने सुव्यस्थित ढ़ंग से काम किया जा रहा है। इन प्रयासों के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए श्री कादरी ने बताया

कार्यशाला में भाग लेते प्रतिभागी

कि बाल श्रमिकों के लिए स्टेट ऍक्शन प्लान को वर्ष 2009 में कैबिनेट मंजूरी मिली। तब से इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री कादरी ने बताया कि बाल श्रमिकों के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जोड़ने की आवश्यकता है साथ ही, ऐसे परिवारों की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं जन–जागरुकता प्रयासों की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों से बाल श्रमिकों का पलायन अधिक है, वहां 'क्लस्टर बेस्ड ऍप्रोच' की आवश्यकता है। समाज कल्याण विभाग के परामर्शदाता श्री सैफुर्रहमान ने बाल श्रमिकों के लिए चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे शिक्षा का अधिकार, छात्रवृत्ति, पोशाक योजना, मध्याह्न, भोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आदि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन योजनाओं को बाल श्रमिकों के पुनर्वसन से जाड़ने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के अगले चरण में इस मुद्दे पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपने अनुभव एवं विचार बांटे। 'प्रथम' नामक संस्था के प्रतिनिधि, श्री समीर ने कहा कि जो भी बच्चा विद्यालय से बाहर है, उसके बाल श्रमिक बनने की संभावना है। अंतः सभी लाइन विभागों को मिलकर ऐसे ठोस प्रयास करने होंगे जिससे कि बाल श्रम की नौबत ही न आ सके। कार्यक्रम के अंत में एक कार्ययोजना पर काम किए जाने पर सहमति हुई जिसके माध्यम से बाल श्रमिकों के पुनर्वसन का कार्य आसानी से हो सकेगा। इसमें सबसे अहम यह होगा कि सात लाइन विभागों की तीन–तीन योजनाओं की पहचान की जाए जिनका सीधा लाभ मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों तक पहुंचाया जा सके। यह भी तय किया गया कि इस तरह के कार्यक्रम जिला स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर बाल संरक्षण समितियों से संबंधित दिशा निर्देशों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

'घटता लिंगानुपात' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला

दिनांक 10–11 फरवरी,2016 को होटल पाटलिपुत्रा अशोका, पटना में 'घटता लिंगानुपात' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। डीएफआइडी 'स्वस्थ्य' परियोजना के तहत महिला विकास निगम एवं जागरण पहल–द इनिशिएटिव के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह कार्यक्रम 'सपनों को चली छूने' नामक परियोजना के चौथे चरण का अंग था। सपनों को छूने चली परियोजना के चौथे चरण की थीम है, 'घटता लिंगानुपात'। परियोजना के इस चरण के तहत विभिन्न जिलों के 20000 छात्र–छात्राओं को लिंग भेद तथा संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राज्यस्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्रीमती कुमारी मंत्री मंजू वर्मा, माननीया मंत्री, समाज कल्याण ने कहा कि गाँवों में अब भी बेटे–बेटियों के बीच भेदभाव की खाई है। इसे मिटाने के लिए ग्रामीणों को अपनी धारणा बदलनी होगी। बेटियां सशक्त होंगी तभी समाज सुंदर बनेगा।

कार्यशाला में बतौर मुख्य वक्ता डॉ एन विजयालक्ष्मी, प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम ने कहा कि लिंग भेद और लिंगानुपात में असंतुलन 21वीं सदी में भी सबसे बड़ी विडंबना है। भारत के अलग–अलग क्षेत्रों में तरह–तरह के लोग रहते हैं। कुछ इलाके 21 वीं सदी के साथ कदमताल कर रहे हैं तो कुछ बेहद पिछड़े हैं। आधी आबादी को वंचित रख हम विकसित देश नहीं बन सकते। यदि उच्च शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक बेटियों की पहुंच होगी तो वे अपनी क्षमता के आधार पर स्वयं आगे बढ़ जाएंगी। पहले चरण में परियोजना के तहत सिर्फ लड़कियों को प्रशिक्षित किया गया था। मगर महसूस हुआ कि लड़कों को अपनी माँ, बहन, पत्नी और ऑफिस में महिला सहकर्मियों से बर्ताव करना सीखना चाहिए। इसलिए चौथे चरण में लड़कों को प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। यूजीसी ने भी जेंडर सेंसीटाइजेंशन की पढ़ाई कराने के दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह गाइडलाईन सपनों को चली छूने कार्यक्रम से काफी मिलती–जुलती है। खुशी है कि यूजीसी ने भी हमारे कार्यक्रम को समझा है।

कार्यशाला में नौ जिले– बक्सर, मधेपुरा, भागलपुर, वैशाली, मधुबनी, सारण, गया, मुंगेर और कटिहार के 18 कॉलेजों से अध्यापकों, नोडल ऑफिसरों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर कार्यशाला

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर दिनांक 18 अप्रैल, 2016 को होटल विजया तेज क्लार्क्स इन् पटना में एक कार्यशाला आयोजित की गयी. इस कार्यशाला का आयोजन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हेतु चयनित ऐक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तथा एच डी एफ सी बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया.

कार्यशाला का उद्घाटन श्री इमामुद्दीन अहमद, निदेशक समाज कल्याण सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 'सक्षम' द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया. इस अवसर पर श्री विजय कुमार सिंह, उप निदेशक समाज कल्याण, श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, वरीय प्रशासी पदाधिकारी सक्षम, श्री राजेश कुमार झा, सर्किल हेड–ऐक्सिस बैंक, श्री प्रमोद कुमार दुबे, जोनल हेड–आईसीआईसीआई बैंक तथा एचडीएफसी बैंक के श्री निलेश किशोर उपस्थित थे।

कार्यशाला में बिहार के सभी जिलों के सहायक निदेशकगण, सामाजिक सुरक्षा व उनके डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने भाग लिया। इसके अलावा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हेतु चयनित बैंकों के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया।

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सहायक निदेशकगण सामाजिक सुरक्षा व उनके डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रक्रिया तथा इसके लिए विकसित कस्टमाइज़्ड बैंकिंग ऐप्लीकेशन से परिचित कराना था। कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से सम्बंधित सभी प्रक्रियाओं के बारे में बैंकों के पदाधिकारियों तथा सहायक निदेशकगण, सामाजिक सुरक्षा व उनके डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को बताया गया।

इस कार्यशाला के अगले चरण में जिला स्तर पर ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी जहाँ जिलाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े अन्य पदाधिकारियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रक्रिया तथा इसके लिए विकसित कस्टमाइज़्ड बैंकिंग ऐप्लीकेशन से अवगत कराया जायेगा

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हेतु विभिन्न जिलों के लिए चयनित बैंकों के नाम इस प्रकार हैं– **ऐक्सिस बैंक :** गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगुसराय, जमुई, लखीसराय एवं शेखपुरा। **एचडीएफसी बैंकः** भागलपुर, बांका, छपरा, सीवान, गोपालगंज, मुज़फ़्फ़रपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण। **आईसीआईसीआई बैंक :** पटना, भोजपुर, बक्सर,नालंदा, कैमूर, रोहतास, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार एवं किशनगंज।

मंचासीन पदाधिकारीगण

सभा को संबोधित करते निदेशक, समाज कल्याण सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,'सक्षम'

बिहार राज्य वृद्धजन नीति के प्रारुप पर परामर्शी बैठक

बिहार राज्य निःशक्तजन नीति, 2016 के प्रारुप पर संबंधित विभागों तथा सामाजिक संगठनों का परामर्श प्राप्त करने के उद्देश्य से दिनांक 03 मई, 2016 को 'सक्षम' सभागार में एक परामर्शी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक में पावर पॉएण्ट प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से नीति के मुख्य बिदुओं पर प्रकाश डाला गया। तदोपरान्त परिचर्चा का प्रस्ताव प्रस्तुत कर प्रतिभागियों के सुझाव मांगे गए। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि नीति के प्रारुप के उल्लेखित आर्थिक सुरक्षा के तहत वृद्धजनों की खानदानी/अर्जित संपत्ति की सुरक्षा का मुद्दा जोड़े जाने की आवश्यकता है। इसके तहत यह भी विचारणीय है कि जो वृद्धजन काम करने के योग्य हैं, उनके लिए काम की व्यवस्था की जा सके। यह कदम उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, परिवार पर उनकी आर्थिक निर्भरता कम करेगा। वृद्धजनों की खानदानी/अर्जित संपत्ति की सुरक्षा के मामले में कानूनों को सख्त बनाए जाने की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु ट्राइब्यूनल तो विद्यमान हैं मगर उन्हें अधिक क्रियाशील बनाए जाने की आवश्यकता है। समुचित जन–जागरुकता एवं प्रचार–प्रसार से विद्यमान कानूनों एवं प्रावधानों की जानकारी जनता तक पहुंचेगी।

राज्य महिला आयोग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तर्ज़ पर राज्य वृद्धजन आयोग बनाए जाने पर विचार किया जा सकता है। वृद्धजनों की सहायता हेतु एक हेल्पलाइन के बारे में विचार किया जाना चाहिए। आयकर राहत/छूट के नाम पर एकत्रित राशि वृद्धजनों के कल्याणार्थ खर्च की जा सकती है। इसके लिए एक पृथक कोष की स्थापना की जा सकती है। यह कोष केवल सरकारी न होकर सभी नागरिकों के लिए हो। काम करने योग्य वृद्धजनों के स्वयं सहायता समूह उन्हें संगठित करने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। यह एक ऐसा मंच हो सकता है जिसके माध्यम से वृद्धजन अपना दुःख–सुख अपने साथियों के साथ बांट सकते हैं, संगठित होकर अपने हक की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। वृद्धजनों की सामाजिक/आर्थिक सुरक्षा हेतु उनके लिए बीमा की व्यवस्था की जानी चाहिए। महिलाएं पहले से ही उपेक्षित हैं। वृद्ध महिलाएं दोहरी उपेक्षा का शिकार हो सकती हैं जिससे उनकी स्थिति बद से बदतर हो सकती है। इसलिए वृद्ध महिलाओं की बेहतर स्थिति के लिए विशेष उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है। देश की वर्तमान जनसंख्या में 15–59 वय समूह का प्रतिशत 63 प्रतिशत है। आने वाले बीस वर्षों में यह वय समूह वृद्धावस्था में प्रवेश करेगा जिससे वृद्धजनों का कुल प्रतिशत 50 प्रतिशत के आसपास होगा। अतः वृद्धजनों की बेहतर सामाजिक स्थिति हेतु गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान परिदृश्य में वृद्धजनों के प्रति उपेक्षा एवं उनकी बदहाली के लिए उत्तरदायी कारकों में 'पलायन' को भी जोड़े जाने की आवश्कता है। परिवार के युवा सदस्यों के पलायन के कारण वृद्धजन अकेले रह जाते हैं जिससे उनमें एकाकीपन एवं असुरक्षा की भावनाएं घर कर जाती हैं। अकेले रहने वाले वृद्धजन अक्सर ही असामाजिक तत्वों के लिए सुलभ शिकार होते हैं। उनपर हमले और लूटपाट की वारदातें इसीलिए सामने आती हैं। वृद्धजनों के भरण–पोषण जैसे मुद्दों के क्रियान्वयन हेतु ग्राम कचहरियों को अधिक सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए पंचायती राज विभाग की सहायता ली जा सकती है।

नीति के दस्तावेज में वृद्धजनों के मुद्दे से संबंधित वैधानिक संरचनाओं को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। वृद्धजनों के मुद्दों पर संवेदनशीलता एवं जागरुता निर्माण की आवश्यकता है।

ग्राम/पंचायत स्तर पर ऐसे केन्द्रों की स्थापना किए जाएं जो एक मनोरंजन केन्द्र हो, जहां पठन–पाठन की व्यवस्था हो, जहां वृद्धजन परिचर्चा आदि के माध्यम से अच्छा समय गुजार सकें। इस कार्य हेतु पंचायत भवन अथवा विद्यालय भवन के संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है। इस दिशा में पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। नीति के प्रारुप में वर्णित उद्देश्यों के साथ समय–सीमा का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। पारिवारिक स्तर पर बुजुर्गों को सम्मान दिए जाने एवं उन्हें उपयोगी संसाधन के रुप में देखे जाने की आवश्यकता है। इसके लिए परिवार जनों के साथ बेहतर संवाद एवं उनके जागरुकता निर्माण की आवश्यकता है। परिवारों में पीढ़ियों के अन्तर को पाटने की आवश्यकता है। विद्यालयों में शुरुआती कक्षाओं से ही पाठ्यक्रम में वृद्धजनों के सम्मान पर एवं उनकी उपयोगिता पर समुचित पठन सामग्री के समावेशन की आवश्यकता है। इस समावेशी पाठ्यक्रम से बच्चों की मानसिकता वृद्धजनों के प्रति सकारात्मक होगी। आशा की जा सकती है कि यह बच्चे जब युवा होंगे तो अपने बुजुर्गों के बेहतर देखभाल कर सकेंगे, उनकी मनोस्थिति बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।

नीति के प्रारुप में सरकार की भूमिकाओं पर बात की गई है किन्तु इसके साथ–साथ सामाजिक संगठनों, मीडिया एवं न्यायपालिका की भूमिकाएं भी निर्धारित की जानी चाहिए। वर्तमान समय में वृद्धजनों के कल्याण का मुद्दा मीडिया की प्राथमिकता में नहीं है। इसके लिए एॅडवोकेसी किए जाने की आवश्यकता है ताकि मीडिया इस मुद्दे को भी अपनी प्राथकिता सूची में शामिल कर सके। वृद्धजनों के कल्याणार्थ अपनाए जाने वाले उपायों के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में पंचायत प्रतिनिधियों को जागरुक बनाया जाना चाहिए। नीति को अमली जामा पहनाने के लिए कार्ययोजना में समय–सीमा एवं विशेष बजट का प्रावधान किया जा सकता है।

ज्ञातव्य है कि बिहार राज्य निःशक्तजन सशक्तीकरण नीति की तर्ज़ पर बिहार राज्य वृद्धजन नीति का निर्माण भी प्रक्रियाधीन है। नीति का उद्देश्य वृद्धजनों को समाज में एक शान्तिपूर्ण एवं सम्मानजनक स्थिति प्रदान करना है। इस दृष्टिकोण से नीति के प्रारुप में वृद्धजनों के जीवन से जुड़े विभिन्न तत्वों का समावेश किया गया है। संबंधित लोगों एवं संस्थानों से प्राप्त परामर्श के आधार पर नीति में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। तदोपरान्त नीति के प्रारुप पर कैबिनेट का अनुमोदन प्राप्त कर नीति को लागू कर दिया जाएगा

पंचायत स्तरीय कार्यक्रम द्वारा पेंशन वितरण कार्यक्रम

दिनांक 20–30 मार्च 2016 में लगभग 63 लाख पेंशन धारियों के बीच पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर पेंशन राशि का वितरण किया गया। सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा 'सक्षम' समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार को पेंशन की राशि उपलब्ध करायी थी। 'सक्षम' द्वारा इस राशि में से 1,54,164.52 लाख रुपये की राशि राज्य के सभी जिलों को आवंटित कराई गई ताकि सुलभता के साथ पेंशनधारियों के बीच राशि का वितरण किया जा सके। पेंशन की राशि अगस्त 2015 से फरवरी 2016 तक कुल सात महीनों के लिए पेंशनधारियों के बीच वितरित की गई है। विदित है कि पेंशन की राशि का वितरण निःशक्त व्यक्तियों, विधवाओं एवं वृद्धजनों के बीच किया जाता है।

पेंशन वितरण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2016–17 से पेंशन राशि का भुगतान डी.बी.टी (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर) के माध्यम से प्रस्तावित है। इसके लिए सभी पेंशनधारियों का बैंक खाता संख्या (आई.एफ.एस.कोड सहित) एवं आधार संख्या अनिवार्य होगी। डी.बी.टी के लिए समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है ताकि शत–प्रतिशत पेंशन लाभुकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा सके। इसकी प्रगति के लिए सभी जिलों में राज्य स्तरीय दल के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें स्वयं प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा नालंदा, नवादा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद आदि जिलों का निरीक्षण कर संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारीगण को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

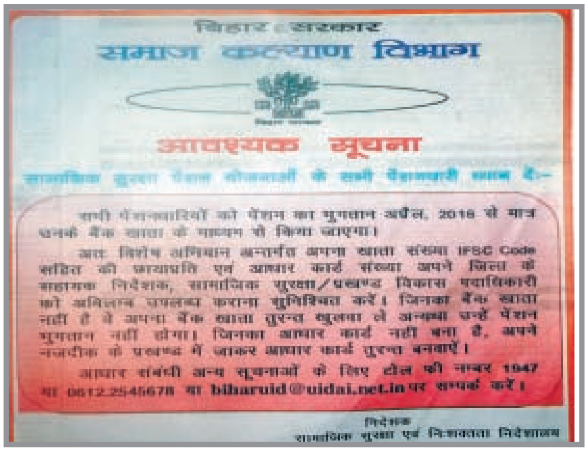

डी.बी.टी. के माध्यम से पेंशन के भुगतान पर विज्ञापन

उपयोगी सन्दर्भ सामग्री: बुजुर्गों की संख्या पर आंकड़े

चिंताजनक • नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किये आंकड़े, 10 वर्षों में 35 फीसदी बढ़ी वृद्धों की संख्या

देश में तेजी से बढ़ रही बुजुर्गों की आबादी

देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. 10 वर्षों में 35 फीसदी वृद्धों की संख्या में इजाफा हुआ है. वर्ष 2001 में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 7.6 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 10.3 करोड़ हो गयी. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में 60 साल से अधिक उम्र के 8.4 फीसदी लोग बेड पर पड़े रहते हैं.

60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 10.3 करोड़

बच्चों पर निर्भरता ज्यादा

अकेले रहनेवाले बुजुर्गों की संख्या कम

कहां कितने वृद्ध

राज्य	संख्या
केरल	12.6%
गोवा	11.2%
तमिलनाडु	10.4%
पंजाब	10.3%
[illegible]	6.7%
[illegible]	5.2%
[illegible]	4.6%
[illegible]	4.7%

साभारः प्रभात खबर, दिनांक 23/04/2016, पटना।

वृद्धजन समाज कल्याण विभाग के विभिन्न लक्षित समूहों में से एक हैं। वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत है। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का संचालन सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा एवं सर्वांगीण कल्याण हेतु 'बिहार राज्य वृद्धजन नीति' का प्रारुप भी तैयार किया गया है। विभिन्न विभागों एवं विषय–विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर उक्त नीति का क्रियान्वयन यथाशीघ्र किया जाएगा।

अनुमंडल स्तर पर 101 बुनियाद केन्द्रों के माध्यम से वृद्धजनों, विकलांगजनों एवं विधवाओं को सामाजिक देखभाल प्रदान की जाएगी जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि होगी। उक्त परियोजना प्रक्रियाधीन है।

मदिरा सेवन के विरुद्ध शपथ

दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को पूर्वाह्न 11 बजे सक्षम सभागार में आयोजित एक संक्षिप्त से कार्यक्रम में सहायक निदेशकगण, सामाजिक सुरक्षा, सक्षम तथा राज्य बाल संरक्षण समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने मदिरा का सेवन न करने की शपथ ली। श्रीमती पूनम सिन्हा, कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शराब का सेवन न करने की शपथ दिलाई गई। ज्ञातव्य है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में शराबबन्दी लागू करने के निर्णय के अनुपालन के रुप में सभी सरकारी विभागों एवं इकाइयों में पदाधिकारीगण द्वारा शराब का सेवन न करने की शपथ ली गई।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी सामान्य शपथ पत्र

मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता/लेती हूँ कि शराब का सेवन नहीं करूँगा/ करूँगी क्योंकि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही दूसरे लोगों को भी शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करूँगा/ करूँगी।

मद्य–निशेध की शपथ लेते पदाधिकारीगण

अख़बार की सुर्खियों में समाज कल्याण विभाग की गतिविधियाँ

वृद्धों- लाचारों को एक छत तले 'बुनियादी' सुविधाएं

राजकाज

बैंक में खाता नहीं है तो रुकेगा लाभुकों का पेंशन

लाभुकों के घर तक पहुंचे राशि :मंत्री

सबने किया नारी शक्ति को सलाम

नई सोच के साथ महिलाओं को आगे बढ़ने की जरूरत

ढाई साल की मीनाक्षी को मिले विदेशी मम्मी-पापा

बाल संरक्षण समि

हिन्दुस्तान 02

सहज तरीके से योजनाओं का लाभ लाभुकों तक पहुंचाएं : इमामुद्दीन

फुलवारीशरीफ |सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ-लोगों तक पहुंचाने में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसी उद्देश्य से विश्व बैंक की महत्वाकांक्षी ... परियोजना में राज्यस्तरीय ... परियोजना की संचार रणनीति पर उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम के दूसरे एवं अंतिम बैच के उद्घाटन अवसर पर समाज कल्याण के निदेशक इमामुद्दीन अहमद ने कहीं। इस अवसर पर अपर निःशक्तता आयुक्त अजय ... पर समाज कल्याण ... अन्य मौजूद थे।

प्रभात खबर

...रीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का समापन

...शरीफ ... को बामेती, फुलवारीशरीफ में संपन्न ... इसमें जिलों के सहायक निदेशक, बाल ... के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

बेटी के नाम पर दो हजार रुपये का एफडी

फुटपाथ पर रात गुजारने को बनेगा बसेरा

निर्णय

कवायद

50

20

पौष्टिक भोजन, बिजली, पानी की होगी व्यवस्था

सामाजिक सुरक्षा की ... दी जाएगी जानकारी

पटना। राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी लाभुकों तक संचार माध्यमों द्वारा पहुंचाएगी। समाज कल्याण विभाग के निदेशक इमामुद्दीन अहमद ने कहा कि जानकारी के अभाव ... तक योजनाओं का लाभ नहीं ...ता, जिससे वह शोषण का ...होते हैं। ...मुद्दीन बुधवार को बामेति परिसर ...एसपीएस परियोजना की संचार ... पर उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा ...सेवाओं को बेहतर बनाना है। हि.ब्यू

भिखारियों की मदद के लिए खोला बैंक

सक्षम ने तैयार किया प्रस्ताव, मार्च-अप्रैल से शुरू होगा लॉज

शहरों में गरीबों-बेसहारों को मिलेगा सस्ता बसेरा

7 जिलों में 6471 भिक्षुओं की पहचान

चलाए जा रहे हैं 14 होम

दैनिक भास्कर

दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न

फुलवारीशरीफ | समाज कल्याण विभाग की सोसाइटी 'सक्षम' द्वारा क्रियान्वित बीआईएसपीएस परियोजना की संचार-रणनीति पर राज्यस्तरीय प्रशिक्षकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार को बामेति में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में जिलों के सहायक निदेशक, बाल सुरक्षा ... पदाधिकारियों ने भाग लिया।

...से योजनाओं का ... पहुंचाएं : इमामुद्दीन

समाज कल्याण विभाग द्वारा मुद्रित प्रचार-प्रसार सामग्री

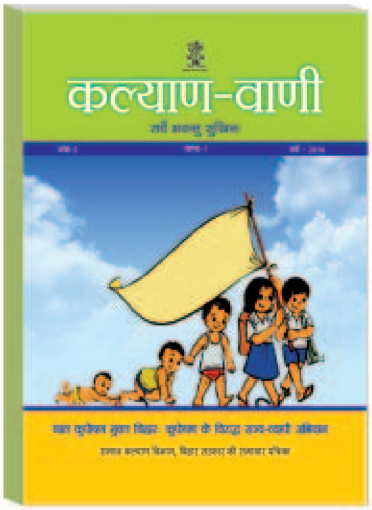

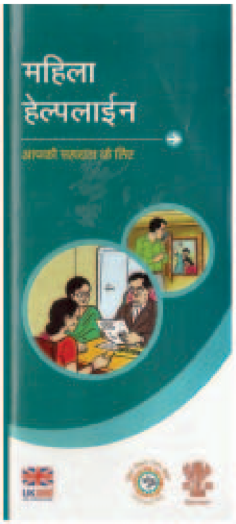

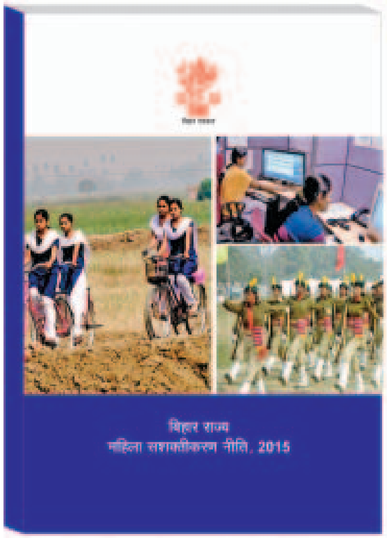

राज्य में भिक्षावृत्ति के क्रमबद्ध निवारण तथा भिक्षुकों को सम्मानजनक जीवन देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना (MBNY) का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें कोई भिक्षुक नहीं हो बल्कि निर्धनतम व निराश्रित व्यक्तियों/परिवारों को भी सम्मानजनक जीवन प्राप्त हो।

समाज कल्याण विभाग, बिहार द्वारा स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर ऐण्ड सोशल वेलफेयर- 'सक्षम', बेली रोड, पटना के मार्गदर्शन में उक्त योजना बिहार के सात जिलों में कार्यरत है, जिसके तहत दो पुनर्वास केन्द्र- 'सेवा कुटीर' (पुरुष भिक्षुकों हेतु) तथा 'शांति कुटीर' (महिला भिक्षुकों हेतु) पटना में संचालित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से चिन्हित लाभुकों को आवास, भोजन, इलाज तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पटना के फुलवारी क्षेत्र में स्थित 'कौशल कुटीर' नामक प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से चिन्हित लाभुकों को रोजगारपरक प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जाता है। यह सारे प्रयास भिक्षुकों की उनके परिवार/समाज में सम्मानजनक वापसी को लक्षित करते हैं। योजना का उद्देश्य निराश्रित व्यक्तियों तथा परिवारों को भिक्षावृत्ति में जाने से रोकना भी है। इसके अतिरिक्त भिक्षावृत्ति के माध्यम से जीवनयापन कर रहे अति निर्धन परिवारों, वृद्धों, नि:शक्तजनों तथा बच्चों के साथ समय-समय पर संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं तक पहुंचने के प्रयास किए जाते हैं।

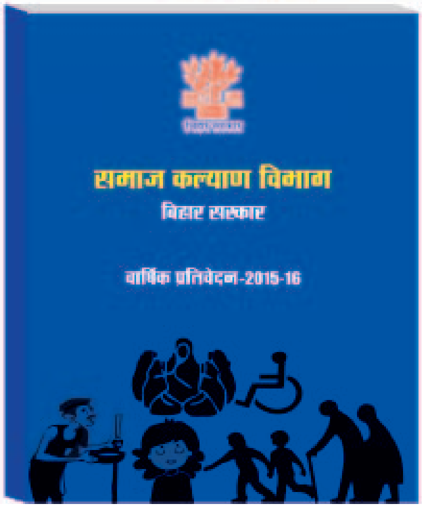

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

3, दक्षिणी गाँधी मैदान, पटना–01, बिहार

फोन: 0612–2546511,2323239, फैक्स:2323240